न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :–

गिरधारी पुत्र ज्ञानाराम जाट

सा. केरपुरा तह. नांवा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. परसाराम पुत्र मगनाराम जाट
2. छोटी पत्नी मगनाराम जाट
3. नारायणीदेवी पत्नी रतनाराम जाट
4. लादुराम पुत्र रतनाराम जाट
5. भेरूराम पुत्र रतनाराम जाट
6. प्रकाश पुत्र रतनाराम जाट
7. नानुराम पुत्र रतनाराम जाट
8. भंवरलाल पुत्र मालाराम जाट
9. सोहनलाल पुत्र मालाराम जाट
10. भवानाराम पुत्र मालाराम जाट
11. रूपाराम पुत्र किसनाराम जाट
12. सुपादेवी पत्नी श्योजीराम जाट
13. भंवरीदेवी पत्नी उगमाराम जाट
14. गोपाल पुत्र उगमाराम जाट
15. भंवरलाल पुत्र उगमाराम जाट
16. पप्पूराम पुत्र उगमाराम जाट
17. झुमर पुत्र उगमाराम जाट
18. खेमाराम पुत्र जीवणराम जाट
19. चन्दाराम पुत्र जीवणराम जाट
20. मोहनराम पुत्र जीवण्राम जाट

सा. केरपुरा तह. नांवा

21. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषण व बंटवारा

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर वकील वादी

मुकदमां नम्बर :– 99/2014

निर्णय दिनांक :– 14.3.17

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम केरपुरा के खसरा नम्बर 71, 75 कुल रकबा 3.29 हैक्टयर, तथ 70, 76 कुल रकबा 0.04 हैक्टयर स्थित हैं उक्त विवादित आराजीयत मौके पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं लेकिन खातेदारो में मौके पर आपसी समझाईश से बंटवारा कर अलग अलग काबिज काश्त हैं जिसके अनुसार मौके पर वादी के कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 71 रकबा 1.

14/3/17

...अधिकारी

23 हैक्टयर सम्पूर्ण तथा इसी भूमि वादी ने अपने खर्च से कुआ खुदवाया हैं जिसके खसरा नम्बर 70 रकबा 0.02 हैक्टयर भूमि हैं वादी के कब्जे काश्त की भूमि के चारो तरफ डोल लगी हुई हैं तथा वादी वर्षो से प्रतिवादीगण से अलग होकर काश्त करता आ रहा हैं लेकिन खातेदारी संयुक्त रूप से होने से प्रतिवादीगण आऐ दिन विवाद खड़ा करते हैं वादी द्वारा प्रतिवादीगण को विधिवत रूप से राजस्व रिकार्ड में बंटवारा करवाकर अलग अलग होल्डिंग कायम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये जिससे मजबुरन वादी को यह वाद पेश करना पड़ा है। वादी ने वाद पेश कर ग्राम केरपुरा के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 71, 75 कुल रकबा 3.29 हैक्टयर, तथ 70, 76 कुल रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि में खसरा नम्बर 71 रकबा 1.23 हैक्टयर व खसरा नमबर 70 रकबा 0.02 हैक्टयर सम्पूर्ण खातेदारी में धोषित किया जाकर शेष भूमि में से नाम हटाया जाकर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गयां प्रतिवादीगण के सम्मन विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीयक कार्यवाही की गई तथा पत्रावली दिनांक 24.05.2015 को '' न्याय आपके द्वारा'' राजस्व लोक अदालत में रखी गई जिसमें प्रतिवादी 1, 4, 8, 11, 19, 12 उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया लेकिन शेष प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से वाद का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में नहीं हो सका तत्पश्चात लोक अदालत में आगामी पैशी नियत कर दी गई जिसके बाद सभी प्रतिवादीगण को जानकारी होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुऐ जिससे एक पक्षीय कार्यवाही की गई। साक्ष्य वादी में वादी स्वंय व गवाह भंवरलाल पुत्र रामूराम के शपथ पत्र पेश किऐ ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की जाकर वकील वादी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 के अनुसार ग्राम केरपुरा के खसरा नम्बर 71, 75 कुल रकबा 3.39 हैक्टयर व खसरा नम्बर 70, 76 रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि गिरधारी पुत्र ज्ञानाराम, परसाराम पुत्र मगनाराम, छोटी पत्नी मगनाराम, रतनाराम पुत्र रामबक्ष , भंवरलाल, सोहनलाल, भवानाराम पि. मालाराम, रूपाराम पुत्र किसना सा. देह 3/4 हिस्सा, सुवादेवी पत्नी श्योजीराम जाति त्यौद हाल केरपुरा 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं, उक्त जमाबन्दी के अनुसार वादी उक्त विवादित भूमि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाना चाहता हैं जिसका उसके कानून अधिकार हैं वादी ने अपने वाद में खसरा नम्बर 70 रकबा 1.23 हैक्टयर व 70 रकबा 0.02 हैक्टयर भूमि सम्पूर्ण का वर्षो से मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा कर अलग काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा कर अलग होल्डिंग कायम करने की

Sd/ 22/3/17

इस्तदुआ की है। प्रतिवादीगण जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को बखुबी होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं किया हैं न ही किसी प्रकार का ऐतराज पेश किया हैं जिससे वादी के बाद पर प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृति प्रतीत होती हैं वादी उक्त विवादित भूमि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिसको अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने का कानूनी अधिकार है। जिससे वादी का वाद साबित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम केरपुरा के खसरा नम्बर 71, 75 कुल रकबा 3.29 हैक्टयर, तथा 70, 76 कुल रकबा 0.04 हैक्टयर में से वादी को खसरा नम्बर 71 रकबा 1.23 हैक्टयर व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.02 हैक्टयर सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष भूमि में से वादी का नाम हटाया जाता हैं। तदनुसार वादी की होल्डिंग अलग कायम जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.3.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/3/17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नांवा
नांवा (...)

डिक्री मुकदमां इब्तहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी नांवा, जिला नागौर, राज.**

अज अदालत :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :– बनाम

गिरधारी पुत्र ज्ञानाराम जाट
सा. केरपुरा तह. नांवा

प्रतिवादीगण :–

1. परसाराम पुत्र मगनाराम जाट
2. छोटी पत्नी मगनाराम जाट
3. नारायणीदेवी पत्नी रतनाराम जाट
4. लादुराम पुत्र रतनाराम जाट
5. भेरूराम पुत्र रतनाराम जाट
6. प्रकाश पुत्र रतनाराम जाट
7. नानुराम पुत्र रतनाराम जाट
8. भंवरलाल पुत्र मालाराम जाट
9. सोहनलाल पुत्र मालाराम जाट
10. भवानाराम पुत्र मालाराम जाट
11. रूपाराम पुत्र किसनाराम जाट
12. सुपादेवी पत्नी श्योजीराम जाट
13. भंवरीदेवी पत्नी उगमाराम जाट
14. गोपाल पुत्र उगमाराम जाट
15. भंवरलाल पुत्र उगमाराम जाट
16. पप्पूराम पुत्र उगमाराम जाट
17. झुमर पुत्र उगमाराम जाट
18. खेमाराम पुत्र जीवणराम जाट
19. चन्दाराम पुत्र जीवणराम जाट
20. मोहनराम पुत्र जीवण्राम जाट

सा. केरपुरा तह. नांवा

21. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती

मुकदमां नम्बर :– 99 / 2014

निर्णय दिनांक :– 14.03.2017

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू........बहाजरी श्री राजेश गुर्जर वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू......मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती हैं कि :–

ग्राम केरपुरा के खसरा नम्बर 71, 75 कुल रकबा 3.29 हैक्टयर, तथा 70, 76 कुल रकबा 0.04 हैक्टयर में से वादी को खसरा नम्बर 71 रकबा 1.23 हैक्टयर व खसरा नम्बर 70 रकबा 0.02 हैक्टयर सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं शेष भूमि में से वादी का नाम हटाया जाता हैं। तदनुसार वादी की होल्डिंग अलग कायम जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.03.2017 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
नांवा

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा			स्टम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गाहान		
खर्चा गाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरीक					
मीलान			मीजान		